

[2024] 6 एस. सी. आर 10: 2024 आईएनएससी 366

शंकर

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(दाण्डिक अपील संख्या 2367/2024)

02 मई 2024

[न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार]

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है जो विचारण न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन आदेश पारित करने के लिए प्रेरित करती हो।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 319- समन आदेश अन्तर्गत धारा 319- की वैधता- अपीलकर्ता धारा 302 के तहत अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहे हैं- विचारण न्यायालय द्वारा धारा 319 के तहत समन आदेश पारित किया गया- उच्च न्यायालय ने समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया - औचित्य:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माना: धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की डिग्री बहुत सख्त है, यह देखते हुए कि यह एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है— केवल तभी जब साक्ष्य मजबूत और विश्वसनीय हो, शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है— इसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है— अपीलकर्ताओं का नाम अपराध के चश्मदीद नहीं होने के बावजूद, प्रथम सूचनादाता द्वारा प्रथम सूचना बयान/रिपोर्ट में लिया गया था, हालांकि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान में, प्रथम सूचनादाता ने स्पष्ट किया कि उसके परिवार की अपीलकर्ताओं के परिवार के साथ लंबे समय से दुश्मनी थी; यह कि अपीलकर्ताओं के नाम प्राथमिकी में गलत और पूरी जानकारी के बिना लिखे गए थे; और यह कि अपीलकर्ता उसके बेटे की हत्या में शामिल नहीं थे— यहां तक कि आरोप पत्र में भी, अपीलकर्ताओं के नाम आरोपी के रूप में उल्लेख नहीं किए गए थे— यह केवल विचारण न्यायालय के समक्ष उसके बयान में है कि आरोपी के नाम फिर से सामने आए— लगभग एक साल बाद, अभियोजन पक्ष ने धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर करने का फैसला किया— परिस्थिति में परिवर्तन जिसका अभियोजन पक्ष प्रथम सूचनादाता के बयान के आधार पर प्रतिवाद करना चाहता है, यह बिल्कुल भी धारा 319 की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है— प्रथम सूचनादाता के, एक चश्मदीद गवाह नहीं होने के कारण, उसका बयान अपीलार्थियों को समन करने के लिए धारा 319 के तहत असाधारण अधिकारिता को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है— किसी अन्य गवाह ने अपीलार्थियों के खिलाफ कुछ भी गवाही नहीं दी— अपीलार्थियों के खिलाफ कोई दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया— साथ ही अपीलार्थियों की कोई भूमिका नहीं बताई गई— इन कारकों को जब समग्र रूप से देखा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए संतुष्टि की उच्च डिग्री की आवश्यकता होती है जो यहां नहीं मिलती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है- विचारण न्यायालय ने धारा 319 के तहत आवेदन को अनुमति देने में और अपीलार्थियों को समन जारी करने में गलती की - उच्च न्यायालय द्वारा समन के आदेश को रद्द करने में विफल रहने के कारण, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी रद्द कर दिया गया। [पैरा 18-26]

उद्धृत केस लॉ

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 2 एससीआर 1: (2014) 3 एससीसी 92- संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

मुख्य शब्दों की सूची

पर्याप्त सामग्री; समन आदेश; संतुष्टि की डिग्री; सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति; विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति।

निम्न मामले से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: दाण्डिक अपील संख्या 2367/2024

ए482 संख्या 30221/2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.04.2023 से

साथ में

दाण्डिक अपील संख्या 2368/2024

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, अभिषेक मोहंती।
प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण यशरथ कांत, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, अंकित
गोयल, धवल उनियाल, निखिल शर्मा।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. वर्तमान अपीलें धारा 482 के अन्तर्गत आवेदन संख्या 30221/2017 के तहत आवेदन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 04.04.2023 के एक निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत पारित 24.08.2017 के समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जहाँ अपीलार्थियों को आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया गया था। दोनों अपीलार्थियों का मामला समान है, तो उनकी अपीलों पर एक साथ विचार किया जा रहा है।
3. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या अपीलार्थी के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है जो विचारण न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत समन आदेश पारित करने के लिए प्रेरित करती है। इस अदालत की संवैधानिक पीठों के निर्णयों द्वारा कानून के सिद्धांतों को तय किया जा रहा है, यह प्रश्न वर्तमान मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है:
4. **तथ्य और विवेचना:** 10.05.2011 को, प्रथम सूचनादाता (पीडब्लू-1), मृतक की माँ ने थाना घाटमपुर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उसका बेटा एक साथी ग्रामीण के गेहूं के खेत में एक ट्यूबवेल के पास मृत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पाया गया था। अपने बयान में, उसने आरोप लगाया कि उसके बेटे की हत्या वर्तमान अपीलार्थियों, अपीलार्थियों के पिता और दो अन्य लोगों ने दोनों परिवारों के बीच मौजूद कुछ पुरानी दुश्मनी के कारण की थी।

5. अगले दिन, विवेचना अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पीडब्लू-1 का बयान दर्ज किया। इस बयान में उसने यह भी कहा कि मृतक झगड़ालू था, उसे अन्य ग्रामीणों के साथ झगड़ा करने की आदत थी और उनके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले चल रहे थे। इससे पहले, उसने अपीलार्थियों के पिता के साथ भी लड़ाई की थी। उसने कहा कि 08.05.2011 को उसी गाँव का एक गैंगस्टर महेंद्र सिंह बाइक पर आया और मृतक को अपने साथ इस बहाने से साथ चलने के लिए कहा कि महेंद्र सिंह 8,000 रुपये की राशि वापस कर देगा, जो उसने पीडब्लू-1 से उधार लिए थे और यह भी कि वह मृतक को अभियुक्त संख्या 1 (अपीलार्थियों के पिता) और अभियुक्त संख्या 3 के साथ समझौता करने में मदद करेगा। तदनुसार, मृतक महेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल पर चला गया। उसने कहा कि आरोपी संख्या 1-3 कुछ दूरी पर खड़े थे और घटनाक्रम को देख रहे थे। उसने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि आरोपी संख्या 1-3 ने महेंद्र सिंह के साथ मिलकर मृतक की हत्या कर दी। इस बयान में, पीडब्लू-1 ने कहा कि अपीलकर्ता शामिल नहीं थे और उसने अपने प्रथम सूचना बयान में उनका नाम गलत तरीके से और पूरी जानकारी एकत्र किए बिना लिखा था। दो अन्य व्यक्तियों (गवाह), राजाऊ सेंगर और करण सिंह ने अपने धारा 161 के बयानों में पीडब्लू-1 के बयान को दोहराया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि वर्तमान अपीलार्थियों की अपराध करने में कोई भूमिका नहीं थी।

6. विवेचना करने के बाद, आईओ ने 22.06.2011 को आरोप पत्र दायर किया, जिसमें वर्तमान अपीलार्थियों को अभियुक्त के रूप में नामजद नहीं किया गया था। आरोप-पत्र में केवल चार नामित आरोपी थे, हालांकि महेंद्र सिंह, जिसे आरोपी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या 4 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, फरार था। आरोप-पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विवेचना के बाद यह पता चला कि वर्तमान अपीलार्थियों का नाम गलत था।

7. **विचारण:** 20.05.2016 को, पीडब्लू-1 की परीक्षा की गई जहाँ उसने कहा कि “आरोपी बाचा सिंह के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी पिछले 11 साल से चल रही है और शक के आधार पर मैंने प्राथमिकी में शंकर और विशाल के नाम लिखे थे। हालांकि, बाद में उसकी परीक्षा के चरण में, उसने कहा कि “यह कहना गलत है कि पुरानी दुश्मनी के कारण, मैंने एफआईआर में गलत तरीके से बाचा सिंह और उसके बच्चों के नाम लिखे हैं”। पीडब्लू-1 के अलावा, अन्य 5 गवाहों में से किसी ने भी अपराध करने में अपीलार्थियों की संलिप्तता के बारे में नहीं बोला।

8. **विचारण न्यायालय:** पीडब्लू-1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान के अनुसार, सहायक लोक अभियोजक ने 31.07.2017 को, मुकदमे का सामना करने के लिए अपीलार्थियों को तलब करने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया।

9. 24.08.2017 को विद्वान विचारण न्यायालय ने इस अदालत के कुछ पिछले फैसलों पर ध्यान देने के बाद एपीपी द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि विचारण के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति की अपराध करने में भूमिका है जिसका नाम आरोपी के रूप में नहीं है, तो उसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है, भले ही उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो।

10. **उच्च न्यायालय:** विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर करके

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 04.04.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 482 के स्तर पर, न्यायालय को केवल यह देखना है कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। उच्च न्यायालय का इसी आदेश को हमारे सामने चुनौती दी गई है।

11. **मुद्दा:** वर्तमान अपील में उत्पन्न होने वाला एकमात्र सवाल यह है कि क्या धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का वर्तमान मामले के तथ्यों और अभिलेख पर साक्ष्य के आलोक में उचित रूप से प्रयोग किया गया है।

12. **विश्लेषण:** हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रीतिका द्विवेदी और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित गोयल को सुना है।

13. शुरुआत में, हम यह ध्यान दे सकते हैं कि जिन चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, उनकी मृत्यु हो गई है। जहाँ तक उनकी बात है, मुकदमा समाप्त हो गया है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि भले ही मौजूदा अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो गया हो, अपीलार्थियों को समन करने और विचारण को नए सिरे से शुरू करने में कोई बाधा नहीं है¹। कानून की यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है और अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस पर विवाद नहीं किया है।

14. इस पृष्ठभूमि में, हम धारा 319 सीआरपीसी के तहत समन आदेश की वैधता की इसके ही आधार पर जांच करेंगे। सीआरपीसी की धारा 319 इस प्रकार है:

"319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति

1 गुरमेल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 10 एससीसी 684

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(1) जहाँ, किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति, जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

(2)

(3)

(4)”

15. इस प्रावधान पर ध्यान देने के बाद, हम इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 3 एससीसी 92** में निर्धारित सिद्धांतों पर ध्यान देंगे, ताकि आपराधिक अदालतें धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उनका पालन कर सकें।

"94. प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1963 एससी 1094 में, इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ "अपीअर(प्रतीत)" शब्द के अर्थ से संबंधित थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अपीअर्स" शब्द का उचित अर्थ "सीम्स(प्रतीत)" होता है। यह प्रमाण की तुलना में संभावना की कम डिग्री रखती है। राम सिंह बनाम राम निवास, (2009) 14 एससीसी 25 में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ को फिर से धारा में मौजूद "अपीअर" शब्द के महत्व की जांच करने की आवश्यकता थी। न्यायालय ने माना कि इस शर्त को पूरा करने के लिए कि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, न्यायालय को एक असाधारण परिस्थिति के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए जो उसे एक असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में सक्षम बनाता है। इसलिए अदालत के लिए जो आवश्यक है, वह इस संतुष्टि पर पहुंचना है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, यदि अखण्डनीय है, तो मामले में आरोपी के रूप में जोड़े जाने के लिए वांछित व्यक्तियों को दोषी ठहरा सकता है।

95. संज्ञान लेते समय, अदालत को यह देखना होता है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनता है। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत, हालांकि प्रथमदृष्टया मामले का परीक्षण समान है, लेकिन संतुष्टि की मात्रा जो आवश्यक है वह बहुत सख्त है।...

105. धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल वहाँ जहाँ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत होता है ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।

106. इस प्रकार, हमारा मानना है कि हालांकि अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य से केवल एक प्रथमदृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण किया जाए, लेकिन इसके लिए उसकी संलिप्तता की मात्र संभावना की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथमदृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि होगी। इस तरह की संतुष्टि की अनुपस्थिति में, अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए।....”

16. धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की डिग्री उपरोक्त संदर्भित निर्णय के बाद अच्छी तरह से तय की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि यदि इसका खण्डन नहीं किया जाता है, तब इसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना चाहिए जिसे बुलाने की मांग की गई है। जैसा कि उपरोक्त संदर्भित निर्णय से स्पष्ट है, धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की मात्रा बहुत सख्त है, यह देखते हुए कि यह एक विवेकाधीन और एक असाधारण शक्ति है। जब साक्ष्य मजबूत और विश्वसनीय हो, तभी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की अपेक्षा बहुत अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

17. इस पृष्ठभूमि में, हम अभिलेख पर साक्ष्य की जांच करेंगे जिसने विचारण न्यायालय को धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। पीडब्लू-1, जो मृतक की मां है, एकमात्र गवाह है जिसने अपीलार्थियों का नाम लिया है।

17.1 प्रथम सूचना बयान में, उसने अपीलार्थियों का नाम दोनों परिवारों के बीच पिछली दुश्मनी के कारण अपराध करने में भूमिका निभाने के रूप में लिया है। इस बयान का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे विजय सिंह की संयुक्त रूप से बच्चा सिंह पुत्र मोहन सिंह, शंकर पुत्र बच्चा सिंह, विशाल पुत्र बच्चा सिंह – निवासी रहा और संजय पुत्र मुन्ना सिंह, कल्लू सिंह पुत्र मुन्ना सिंह – निवासी जलाला,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पुलिस स्टेशन घाटमपुर द्वारा हत्या कर दी गई है। इन लोगों के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी है।”

17.2 हालाँकि, अपने धारा 161 के बयान में, उन्होंने कहा है कि अपीलकर्ता शामिल नहीं थे और उन्होंने पूरी जानकारी एकत्र किए बिना उनका नाम लिया। दो अन्य गवाह, राजाऊ सेंगर और करण सिंह ने भी अपने धारा 161 के बयानों में कहा है कि अपीलार्थियों की अपराध करने में कोई भूमिका नहीं थी। धारा 161 सीआरपीसी के तहत पीडब्लू-1 के बयान का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:-

“... मैंने लाही बेचने के बाद, बहुत पहले महेंद्र सिंह को 8000 रुपये उधार दिए थे। विजय सिंह ने महेंद्र सिंह से कई बार कर्ज की रकम चुकाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं किया। इस आश्वासन की आड़ में, विजय सिंह महेंद्र की मोटरसाइकिल पर चले गए। मुन्ना सिंह के बेटे संजय सिंह और कल्लू सिंह और मोहन सिंह के बेटे बच्चा सिंह भी घर के बाहर कुछ दूरी पर खड़े थे। उन्होंने भी मेरे बेटे विजय सिंह को लुभाया और विजय सिंह और महेंद्र सिंह के साथ गए और उन चारों ने मेरे बेटे विजय सिंह को मार डाला और शव को महेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया के ट्यूबवेल के पास खेत में फेंक दिया। बच्चा सिंह के बेटों शंकर सिंह और विशाल सिंह के नाम, जो मैंने प्राथमिकी में लिखे हैं, मैंने पूरी जानकारी एकत्र किए बिना गलत तरीके से लिखे हैं। मेरे बेटे विजय सिंह की हत्या गांव लौकाहा के महेंद्र सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह सचान, गाँव राहा के बाचा सिंह पुत्र मोहन सिंह और गाँव जलाला के संजय सिंह और कल्लू सिंह पुत्र मुन्ना सिंह ने की थी। बच्चा सिंह के बेटे शंकर और विशाल मेरे बेटे की हत्या में शामिल नहीं थे।”

(प्रभाव वर्धित)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

17.3 विवेचना के बाद दायर किए गए आरोप पत्र में भी अपीलार्थियों के नाम का अभियुक्त के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है।

17.4 यह केवल विचारण न्यायालय के समक्ष उसके बयान में है कि पीडब्लू-1 ने एक बार फिर अपीलार्थियों का नाम लिया है। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने केवल संदेह के आधार पर उनका नाम लिया है। विचारण न्यायालय के समक्ष उसके बयान का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

“मैंने अपनी रिपोर्ट में बच्चा सिंह, शंकर, विशाल, कल्लू सिंह और महेंद्र सचान को आरोपी बनाया। इन लोगों के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी थी।”

अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-1 ने इस प्रकार कहा:-

“मेरे बेटे विजय सिंह के खिलाफ दो-तीन बाहरी मामले थे और गाँव के दो-तीन स्थानीय मामले लंबित थे, जो अब समाप्त हो गए हैं। उक्त मामले विजय सिंह के जीवनकाल के दौरान बंद/समाप्त किए गए थे। आरोपी बाचा सिंह के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी पिछले 11 वर्षों से चल रही है और संदेह के आधार पर मैंने शंकर और विशाल के नाम प्राथमिकी में लिखे थे।”

18. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों का नाम प्रथम सूचना विवरण में दिया गया था, हालांकि, धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान में, पीडब्लू-1 ने स्पष्ट किया कि एफआईआर में अपीलार्थियों के नाम झूठे और बिना पूरी जानकारी के लिखे गए थे। उसने यह भी कहा है कि अपीलकर्ता उसके बेटे की हत्या में शामिल नहीं थे। यहां तक कि आरोप पत्र में भी अपीलार्थियों के नाम अभियुक्त के रूप में उल्लेख नहीं किए गए थे। केवल विचारण न्यायालय के समक्ष उसके बयान में ही अभियुक्तों के नाम फिर से सामने आए हैं।

19. पीडब्लू 2, 3, 4, 5 और 6 गवाहों में से किसी ने भी अपीलार्थियों के बारे में कुछ नहीं कहा है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

20. 31.07.2017 को, यानी पीडब्लू-1 के बयान के लगभग एक साल बाद, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित प्रभाव के लिए धारा 319 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर करने का फैसला किया:-

“यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामले में, प्रथम सूचनादाता श्रीमती शीला सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में शंकर सिंह और विशाल सिंह के नाम लिखे थे और शंकर सिंह और विशाल सिंह के नाम उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में भी उल्लेख किए हैं। इस कारण से शंकर सिंह और विशाल सिंह को उक्त मामले में विचारण के लिए तलब करना आवश्यक है।

इसलिए, माननीय अदालत से अनुरोध है कि कृपया वह बच्चा सिंह के बेटों आरोपी शंकर सिंह और विशाल सिंह को तलब करे ताकि उक्त मामले में विचारण किया जा सके।

आपकी आभार,

एस. डी./ – अपठनीय

31.7.2017”

21. सबसे पहले, पीडब्लू-1 ने अपराध का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने के बावजूद प्राथमिकी में अपीलार्थियों का नाम लिया है। धारा 161 के तहत अपने बयान में, उसने यह दर्ज करके स्थिति स्पष्ट करनी चाही की कि उनके परिवार की अपीलार्थियों के परिवार के साथ लंबे समय से दुश्मनी थी। उसने यह भी कहा कि “पूरी जानकारी एकत्र किए बिना झूठी तरह से” अपीलार्थियों के नामों का उल्लेख किया गया था और उसके द्वारा लिखा गया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता उसके बेटे की हत्या में शामिल नहीं हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22. जब हम इस कथन की तुलना पाँच साल बाद दिए गए उनके बयान से करते हैं, तो हम पीडब्लू-1 के रुख में भारी बदलाव नहीं देखते हैं। यहां तक कि अपनी मुख्य परीक्षा में भी उसने कहा था कि उसकी आरोपी के परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी थी। हालाँकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्पष्ट किया कि पिछले ग्यारह वर्षों से अपीलकर्ताओं के परिवार के साथ दुश्मनी चल रही थी, इसलिए संदेह के आधार पर एफआईआर में अपीलकर्ताओं के नाम का उल्लेख किया गया था। इसलिए, जिस परिस्थिति में परिवर्तन का अभियोजन पक्ष पीडब्लू-1 के बयान के आधार पर प्रतिवाद करना चाहता है, वह धारा 319 की आवश्यकता को बिल्कुल भी पूरा नहीं करता है।

23. मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, हमारी राय है कि पीडब्लू-1 के एक चश्मदीद गवाह नहीं होने से, अपीलार्थियों को तलब करने के लिए धारा 319 के तहत असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

24. ऐसा कोई अन्य गवाह नहीं है जिसने अपीलार्थियों के खिलाफ गवाही दी हो। इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ एकत्र किया था। अपीलार्थियों की कोई भूमिका नहीं बताई गई है। हमारी राय है कि पीडब्लू-1 का बयान भी धारा 161 के तहत उसके बयान के अनुरूप और सुसंगत है। जब इन कारकों को समग्र तरीके से देखा जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की उच्च डिग्री वर्तमान मामले में पूरी नहीं होती है।

25. ऊपर बताए गए कारणों से हमारी राय है कि विचारण न्यायालय ने धारा 319 के तहत आवेदन को अनुमति देने और अपीलार्थियों को समन जारी करने में गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और आदेश को रद्द कर देना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2017 के समन आदेश को रद्द करने में विफल रहने के कारण,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हम इन अपीलों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.08.2017 के आदेश और धारा 482 के तहत याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के दिनांक 04.04.2023 के निर्णय को भी अपास्त करते हैं।

26. ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाती है और धारा 482 के अन्तर्गत आवेदन संख्या 30221/2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.04.2023 के आक्षेपित आदेश और धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन पत्र संख्या 83 ख में एसटी संख्या 434/2011 में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 5, कानपुर देहात द्वारा पारित दिनांक 24.08.2017 के आदेश को एतद्द्वारा अपास्त करते हैं।

हेडनोट द्वारा तैयार: निधि जैन

मामले का परिणाम:

अपीलों को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।